कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 2381 /12–1 दिनांक 17/ 03/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्ता,
उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

विषय :– **जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक–08बी0/यू0सी0पी0/06/63/2019/एफ0सी0/679, दिनांक 30.08.2024 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 994/12–1 दिनांक 19.09.2024 के क्रम में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड तक मोटर मार्ग (5.1415 है0) के संबंध में वांछित तथ्यपरक आख्या/प्रति–उत्तर, उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग के पत्रांक–808/12–1, दिनांक 11.03.2025 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जिसका अवलोकन करने के उपरान्त वांछित आख्या निम्नलिखित प्रेषित की जा रही है:–

1. दिनांक 27.06.2015 को सर्वप्रथम प्रयोक्ता अभिकरण/पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड–2. नई टिहरी, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण सम्पादित किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.7000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.4130 है0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.2790 है0 नाप भूमि को चयनित करते हुये, वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के तहत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दी गयी। **(संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्नक–01)**

2. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०. सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–1248/पी०–सिं०ख०–2/ दिनांक 04.10.2018 से "जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 03 से कुण्ड मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया **(संलग्नक–02)**।

3. तदोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–2077/12–1, दिनांक 04.02.2019 से प्रस्ताव को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया गया **(संलग्नक–03)**।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल संख्या–08बी0/यू0सी0पी0/06/94/2019/एफ0सी0/1778, दिनांक 08.11.2019 **(संलग्नक–04)** से प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1529/12–1. दिनांक 27.11.2019 से डिमाण्ड नोट प्रयोक्ता अभिकरण को प्रेषित किया गया था **(संलग्नक–05)**।

5. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड–2. नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–59/पी०–सिं०ख०–२, दिनांक 21.01.2020 एवं पत्रांक संख्या–964/पी०–सिं०ख०–२/, दिनांक 21.07.2020 **(संलग्नक–06)** से सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त देयकों का भुगतान कैम्पा कोष में करने के पश्चात समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–1026/12–1 दिनांक 28.09.2020 से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है। **(संलग्नक–07)**

6. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान हेतु एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–2681/9–1(3) दिनांक 03.03.2020 **(संलग्न–08)** से वृक्षों के

ह०

छपान/पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसे 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व इस कार्यालय के पत्रांक–1633/12–1, दिनांक 15.12.2020 से कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति को निरस्त करते हुये प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु अवगत कराया गया। **(संलग्न–09)**

7. सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–06 में दर्शाये गये प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले 152 वृक्षों (49 वृक्ष, नरेन्द्रनगर वनप्रभागान्तर्गत) के सापेक्ष नरेन्द्रनगर वन प्रभागान्तर्गत स्वीकृत संरेखण में प्रभावित होने वाले कुल 49 वृक्षों का लौट पातन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–2681/9–1(3) दिनांक 03.03. 2020 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, नई टिहरी को जारी किया गया।

8. मोटर मार्ग के संरेखण परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अनुमोदित के0एम0एल0 फाईल के इतर किये गये मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या–1328/पी0–सिं0ख0–2 /कुण्ड, दिनांक 20. 09.2024 **(संलग्नक–10)** से अवगत कराया गया है कि "मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन करने के समय के0एम0एल0 फाईल तथा जिओ रैफरेन्स मैप मोटर मार्ग के समरेखण पर लिये गये कार्डिनेट के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी व समयाभाव के कारण वन भूमि प्रस्ताव के लिये तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुयी है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है।

9. वनक्षेत्राधिकारी, सकलाना राजि एवं क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग का संरेखण जिसे प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान चयनित किया गया था एवं तत्समय मोटर मार्ग के दोनो तरफ पिल्लरों की स्थापना की गयी थी। मोटर मार्ग में जिस संरेखण में वृक्षों की गणना व मार्किंग कि गयी उन्ही वृक्षों का पातन किया गया है। **(संलग्नक–11)**

मोटर मार्ग के संरेखण का पुनः संयुक्त भौतिक निरीक्षण दिनांक 19.10.2024 को करने के उपरान्त एवं उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान/पातन स्वीकृत संरेखण में ही किया गया है तथा स्वीकृत संरेखण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/विचलन नही हुआ है, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा नही किया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को निस्तारित कराने हेतु उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को संस्तुति सहित पत्रावली अग्रसारित करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

पत्रांक - 2381/12-1

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियंता, PMGSY, I.D-2, नई दिल्ली

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

आनन्दिग्राम
क0 प्रा0
पो0 12/3/2024

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

पत्रांक 808 / 12-1 , मुनिकीरेती, दिनांक 11 / 03 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनि की रेती।

विषय :– **जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक–822 / 12–1 दिनांक 30.09.2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद टिहरी गढवाल मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड तक मोटर मार्ग के संबंध में वांछित तथ्यपरक आख्या / प्रति–उत्तर निम्नलिखित प्रेषित की जा रही हैः–

1. दिनांक 27.06.2015 को सर्वप्रथम प्रयोक्ता अभिकरण / पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड–2. नई टिहरी, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण सम्पादित किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.7000 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4130 है0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.2790 है0 नाप भूमि को चयनित करते हुये, वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के तहत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दी गयी **(संलग्नक–01)**।

2. प्रयोक्ता अभिकरण / अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०. सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–1248 / पी०–सिं०ख०–2 / दिनांक 04.10.2018 से ''जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 03 से कुण्ड मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया **(संलग्नक–02)**।

3. तदोपरान्त कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या –2077 / 12–1, दिनांक 04.02.2019 से प्रस्ताव को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया गया **(संलग्नक–03)**।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल संख्या–08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 94 / 2019 / एफ0सी0 / 1778, दिनांक 08.11.2019 **(संलग्नक–04)** से प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या–1529 / 12–1. दिनांक 27.11.2019 से डिमाण्ड नोट प्रयोक्ता अभिकरण को प्रेषित किया गया था **(संलग्नक–05)**।

5. प्रयोक्ता अभिकरण / अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड–2. नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–59 / पी०–सिं०ख०–२, दिनांक 21.01.2020 एवं पत्रांक संख्या–964 / पी०–सिं०ख०–२ /, दिनांक 21.07.2020 **(संलग्नक–06)** से सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त देयकों का भुगतान कैम्पा कोष में करने के पश्चात समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को उपलब्ध करायी गयी, जिसे कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या –1026 / 12–1 दिनांक 28.09.2020 से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया **(संलग्नक–07)**।

6. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान हेतु एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या –2681/9–1(3) दिनांक 03.03.2020 **(संलग्न–08)** से वृक्षों के छपान/पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसे 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या –1633/12–1, दिनांक 15.12.2020 **(संलग्न–09)** से कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति को निरस्त करते हुये प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु अवगत कराया गया।

7. सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–06 में दर्शाये गये प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले 152 वृक्षों (49 वृक्ष, नरेन्द्रनगर वनप्रभागान्तर्गत) के सापेक्ष नरेन्द्रनगर वन प्रभागान्तर्गत स्वीकृत संरेखण में प्रभावित होने वाले कुल 49 वृक्षों का लौट पातन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–2681/9–1(3) दिनांक 03.03.2020 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, नई टिहरी को जारी किया गया।

8. मोटर मार्ग के संरेखण परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अनुमोदित के0एम0एल0 फाईल के इतर किये गये मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या–1328/पी0–सिं0ख0–2 /कुण्ड, दिनांक 20.09.2024 **(संलग्नक–10)** से अवगत कराया गया है कि "वन भूमि के अन्तर्गत मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन करने के समय के0एम0एल0 फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप मोटर मार्ग के संरेखण पर लिए गये कोर्डिनेट के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी व समयाभाव के कारण वन भूमि प्रस्ताव के लिये तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुई है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत संरेखण के अनुसार ही किया गया है।

9. वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना एवं क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग का संरेखण जिसे प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान चयनित किया गया था एवं तत्समय मोटर मार्ग के दोनो तरफ पिल्लरों की स्थापना की गयी थी। मोटर मार्ग में जिस संरेखण में वृक्षों की गणना व मार्किंग कि गई उन्हीं वृक्षों का पातन किया गया है **(संलग्नक–11)**।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सहित प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संलग्नक (01)

परियोजना का नाम— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपु र विकासखण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3 से कुण्ड (8.125 किमी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण (वन प्रभाग, मुनि की रेती, खण्ड–नरेन्द्रनगर)

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	1000	7.00	7000	0.7000
2	सिविल सोयम वन भूमि	590	7.00	4130	0.4130
3	वन पंचायत	—	—	—	—
मोटर मार्ग हेतु अर्जित कुल वन भूमि					1.1130
4	नाप भूमि	310	9.00	2790	0.2790
कुल नाप भूनि					0.2790
मोटर मार्ग हेतु अर्जित कुल भूमि					1.3920

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

संलग्न-ण

(8)

प्रपत्र–6

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 27.06.15 को सिचाई खण्ड सिंचाई पी0एम0जी0एस0वाई0 देहरादून (एजेन्सी का नाम) के द्वारा जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित प्रियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री जे0 पी0 बिजल्वाण एव राजस्व विभाग की ओर से श्री डी0 के0 सैनी प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री आदर्श तथा स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 780 (मी0) नाप भूमि. से. 820 (मी0) सिविल भूमि सं. 450 (मी0) वन पंचायत से . 6075 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.7020 है0 नाप भूमि 0.5740 है0 सिविल भूमि 0.3150 है0 वन पंचायत 4.2525 है0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 5.1415 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 182 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमे से 44 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे । ग्रामीणो के अत्याधिक विवाद के कारण दूसरा समरेखण नही किया जा सका ।

इस वन भूमि हस्तान्तरण के तुलना में जो वैकल्पिक वन भूमि हस्तान्तरण देखे गये उसमें 800 (मी0) नाप भूमि.से. 900 (मी0) सिविल भूमि से. 500 (मी0) वन पचायत से. 6300 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.7200 है0 नाप भूमि 0.6300 है0 सिविल भूमि 0.3500 है0 वन पंचायत भूमि 4.4100 है0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 5.390 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 220 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से 78 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान. 78° 09' 43.59" E 30° 19' 31.68" N है तथा यह स्थल मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल कुण्ड है जिसका GPS मान 78° 12' 33.58" E 30° 18' 40.34" N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान संन्लग्न हैं। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/नही है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नही होगा ।

इस समरेखण पर निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निरस्तारण हेतु, कृपकों की भूमी पर खड़ साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाकर उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जयेगा जो स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 78° 10' 01.68" E 30° 19' 02.86" N, 78° 10' 00.11" E 30° 19' 00.59" N, 78° 11' 13.49" E 30° 19' 29.32" N, 78° 11' 14.51" E 30° 19' 31.57" N, 78° 11' 18.63" E 30° 19' 32.37" N, 78° 11' 17.78" E 30° 19' 30.87" N, 78° 11' 21.09" E 30° 19' 20.92" N, 78° 11' 22.17" E 30° 19' 12.51" N, 78° 11' 15.62" E 30° 18' 30.37" N है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजन्सी) प्रतिनिधि	वन क्षेत्राधिकारी सकलाना रेंज, टिहरी	(राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	(जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

वन क्षेत्राधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग मुनि की रेती

(AE)

उपजिलाधिकारी धनोल्टी

वन क्षेत्राधिकारी रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग

अधिशासी अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0, टिहरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी ... प्रभाग

संलग्न-02

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांकः– 1251 / पी0–सिं0ख0–2 / दिनांक 4 /10/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोडा बनाली मोटर मार्ग के किमी0 03.00 से कुण्ड मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/21822/2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोडा बनाली मोटर मार्ग के किमी0 03.00 से कुण्ड मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया था, जिसका क्रमांक FP/UK/ROAD/21822/2016 है।

उक्त वनभूमि प्रस्ताव की मूल प्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– वनभूमि प्रस्ताव 01 नं0

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

मानचित्रकार

04/10/18

आ0सं. 2107/12-1
दिनांक 05/10/2018
प्र0 आर0 86
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती

संलग्न-03

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 2077 /12-1 दिनांक 04/02/2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा-बनाली मोटर मार्ग के कि.मी. 03.00 से कुण्ड मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0- FP/UK/ROAD/21822/2016

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2 नई टिहरी का पत्रांक-1248 जे./पी0-सिं0ख0-2 दिनांक 04.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/21822/2016 जनपद टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा-बनाली मोटर मार्ग के कि.मी. 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की मूल प्रति प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव मूल प्रति सहित आपको 04 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न-04 प्रतियॉं :-

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः- 2077 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2 नई टिहरी को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

o/c

संलग्न-04

रत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 94 / 2019 / एफ0सी0 / 1770 दिनांक: 08 / 11 / 2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड से वनाली मोटर मार्ग के किमी0 3 से कुण्ड 8.125 कि0मी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 3486 / 1 जी–FP/UK/ROAD/21822/2016 दिनांक 25.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/21822/2016 एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 29, जुलाई 2019 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार – जनपद – टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड से वनाली मोटर मार्ग के किमी0 3 से कुण्ड 8.125 कि0मी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 10.283 है0 मौजा कुण्ड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधियत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।

8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 103 वृक्षों (मसूरी प्रभाग) एवं 49 वृक्षों (नरेन्द्रनगर प्रभाग) से अधिक न हो।

State Govt. will submit the plantation scheme in degraded forest land in lieu of 5 ha MDF in proposed CA area as per Ministry's guidelines dated 8.11.2017.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
8. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां समंव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
9. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
10. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
11. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

संलग्न-05

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 1529 / 12-1 (2) दिनांक 27 / 11 /2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0-02
नई टिहरी।

विषय :- जनपद-टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से कुण्ड 8.125 किमी0 तक निर्माण हेतु 5.1415 हे0 संख्या-FP/UK/ROAD/21822/2016 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक-1309/FP/UK/ROAD/21822/2016 दिनांक 18-11-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में कतिपय अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार के पत्र संख्या-08बी/यू0सी0पी0/06/94/2019/एफ0सी0/1778 दिनांक 08-11-2019 में दी गयी शर्तो के कम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1- <u>शर्त संख्या-01</u> के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा मौजा कुण्ड की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु मु0 31,52,058.00 धनराशि जमा करनी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-क-972/3-5-2(II) दिनांक 21-11-2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2019-20 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण -

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि -	5.1415 X 2 =10.283 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0-	3,06,531.00 प्रति हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि-	10.283 X 3,06,531.00=**31,52,058.27**
	या 31,52,058.00

1.1 <u>**शर्त संख्या-1.1**</u> के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राजस्व विभाग/वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ मौके पर उपस्थित होकर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित मौजा कुण्ड की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 10.283 हे0 है को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित एवं नोटिफिकेशन कर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करवायी जायेगी। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रसारित की जायेगी।

2- <u>शर्त संख्या-02</u> के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.113 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 09,40,485.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

<u>एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन</u>

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :-

ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.50 MDF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0-	मु0 8,45,000.00 (आठः लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	1.113 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-	1.113 हे0 X 8,45,000.00 = 09,40,485.00

3- शर्त संख्या–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

4- शर्त संख्या– 04. के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनवद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में वढ़ोत्तरी होती है तो वढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

5- बिन्दु संख्या–05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉं (सी0ए0, एन0पी0वी आदि) को वैब पोर्टल पर ऑन लाईन किये गये चालान के माध्यम द्वारा ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।

6- बिन्दु संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित कर ले की कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 103 वृक्षों (मसूरी वन प्रभाग) एवं 49 वृक्षों (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) से अधिक न हो तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7- बिन्दु संख्या–07 के अनुपालन में User Agency in Conurrence with Concerned Range officer of the said area, will submit the plantation scheme in degraded forest land in lieu of 5 Ha. MDF in proposed CA area as per guidelines of MoEF & CC, New Delhi dated 08-11-2017

8- बिन्दु संख्या–08 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा।

9- बिन्दु संख्या–09 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण, एन0पी0वी0 की दरों में अगर वढोत्तरी होती है तो बढी हुई दरो पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।

10- बिन्दु संख्या–10 के अनुपालना में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरें/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

11- बिन्दु संख्या–11 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट उॅचे आर0सी0सी0 पिल्लर द्वारा सीमांकन संलग्न प्रॉक्कलन के अनुसार करवाते हुये मय फोटों ग्राफ्स/जी0पी0एस0 सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

12- बिन्दु संख्या–12 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुॅचे।

13- बिन्दु संख्या–13 के अनुपलाना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी।

14- बिन्दु संख्या–14 के अनुपलाना में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्‌देश्य के अलावा अन्य किसी उद्‌देश्य के लिये वन भूमि का प्रयोग नही किया जायेगा।

15- बिन्दु संख्या–15 के अनुपलाना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहॉं–जहॉं संम्भव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे Strip Plantaion की जायेगी, इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता अभिकरण

द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा अथवा Strip Plantaion हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करवाकर भी की जा सकती है।

16- बिन्दु संख्या–16 के अनुपलाना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तसर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में अथवा यदि प्रयोक्ता अभिकरण चाहेँ तो वन विभाग द्वारा भी किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जायेगा।

17- बिन्दु संख्या–17 के अनुपालना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तों उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

18- बिन्दु संख्या–18 के अनुपालना ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये ऑनलाईन भी अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सभी शर्तो की अनुपालना के पश्चात ही भारत सरकार के पत्रांक–11–306/2014 एफ0सी0 दिनांक 08–08–2014 एवं उत्तराखण्ड के पत्रांक–941/X–4–18/1–05(04)/2014 दिनांक 26–09–2018 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

29.11.19

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 1529 / 12-1 (2) दिनांकित

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक–1309/FP/UK/ROAD/21822/2016 दिनांक 18–11–2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी को इस आशय से प्रेषित की अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0की धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को पृथक से डिमाण्ड नोट अपने स्तर से भी जारी करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि :– उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी सकलाना राजि को इस निर्देश के साथ कि पत्र में उल्लेखित सभी शर्तो का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाये यह सुनिश्चित कर ले।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

Received
29/11/2019

संलग्न -06

19

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्र प्राप्ति की तिथि 21/01/2020
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर.......
प्राप्तकर्ता का पदनाम..........
कार्यालय का नाम–व.प्र.मुनि–की–रे.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांकः– 59 /पी0–सिं0ख0–2/

दिनांक– 21/01/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर, मुनिकीरेती।

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल जौनपुर विकासखण्ड मे मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग(8.125 किमी0)के नव निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव –FP/UK/ROAD/21822/2016 के सम्बन्ध में।

संदर्भ– पत्राक संख्या 1529/12–1(2) दिनांक 27.11.2019 एवं पत्राक सं0 2108/12–01 (02) दिनांक 16.01.2020

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम. में शर्तो की अनुपालना निम्नानुसार है।

1.शर्त संख्या–1 एवं शर्त संख्या 2के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0 3152058.00 +2646725.00+940985.00=6739268.00) जमा कर दी गई है। जमा प्रति संलग्न।

2. शर्त संख्या–1.1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित मौजा कुण्ड की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 10.283 है0 है। वन विभाग के पक्ष में नांमान्तिरत करने की कार्यवाही गतिमान है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 5.2.2009 के तहत दिये गये आदेशो के अनुसार एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी हैं

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन के एन0पी0वी0की बढी हुयी धनराशि हेतु वचनबद्वता प्रमाण संलग्न है।

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में में जमा की गयी सभी निधिया(सी0ए0 एवं एन0पी0वी0 आदि) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन चलान द्वारा बैक में जमा किया गया है, प्रति संलग्न ।

6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में कम से कम वृक्षो का कटान/पातन सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है

7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में Proposed C.A. Area is not laid in M.D.F जिसके लिए Degraded Forest land की आवश्यकता नही है। (उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।)

8. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वन भूमि विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जाएगा ।

9. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि जमा कर दी गयी है।

10. शर्त संख्या–10 के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरो/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार कां लैबर कैम्प नही लगाया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न हैं।)

11. शर्त संख्या–11 के अनुपालन में प्रस्तावित वनभूमि का 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलर द्वारा सीमांकन कर फोटो ग्राफ/जी0पी0एस0 सहित शीघ्र ही प्रस्तुत किये जायेगे।

12. शर्त संख्या–12 के अनुपालन में मजदूरो एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस/कैरासिन तेल की आपूर्ति की जायेगी प्रमाण पत्र संलग्न ।

13. शर्त संख्या–13 के अनुपालन में परियोजना के निर्माण रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पत्तियों एवं जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी। प्रमाण पत्र संलग्न।

मानचित्रकार
21/01/2020

14. शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के अलावा अन्य किसी उददेश्य के लिये वनभूमि का प्रयोग नही किया जायेगा । प्रमाण पत्र संलग्नं
15. शर्त संख्या–15 के अनुपालन में सडक निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव होगा विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip plantation किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न ।
16. शर्त संख्या–16 के अनुपालन में मलवा निस्तारण प्रस्ताव प्रामाण पत्र संलग्न।
17. शर्त संख्या–17 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम /न्यायालय /आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनूमति सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न ।
18. शर्त संख्या–18 के अनुपालन में भविष्य में जीवों के संरक्षण हेतु सभी शर्ते मान्य होगी । प्रमाण पत्र संलग्न ।

संलग्नकः– 04 प्रतिया उपरोक्तानुसार।

आर.न. 5540/112
दिनांक. 21/11/2020
ह0 आर.क
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0 –2
नई टिहरी

पत्रांकः– /पी0–सिं0ख0–2/ /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।
1 मुख्य विकास अधिकारी नई टिहरी, टिहरी गढवाल।
2..सहायक अभियन्ता– चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–2 नई टिहरी।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0 –2
नई टिहरी

संलग्न-06

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांक-- 964 / पी0-सिं0ख0-2 /

दिनांक-21 / 07 / 2020

5/9/2020

सेवामे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित मरोड़ा-बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/21822/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर मे प्रस्तावित मरोड़ा-बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि (10.283 हे0) की अमलदरामद एंव खाता खतौनी मूल प्रति में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार मूलरूप में।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2
नई टिहरी

पत्रांकः- / पी0-सिं0ख0-2 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
2. सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2 नई टिहरी।

वन भूमि हस्तान्तरण प्रभारी
कृ0 आ0 का0 करें।
प्र0 व0 अ0
5/9/2020.

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2
नई टिहरी

आर.न. 1352/12
दिनांक. 05/09/2020
ह0 आर.क
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती

संलग्नक-07

कार्यालय उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक आर0 संख्या– 1026 / 12-1 दिनांक 28 / 09 / 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनाली के कि0मी0 3 से कुण्ड 8.125 कि0मी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/21822/2016)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी–केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून की पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06 /94/2019/एफ0सी0 /1778, दिनांक 08.11.2019।

महोदय,

आपके पत्रांक–1309/FP/UK/ROAD/21822/2016 दिनांक 18–11–2018 के कम में अवगत कराना है विषयक मोटरमार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तो के अधीन की गयी है, जिसकी पूर्ण अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक–59/पी0–सिं0ख0–02/ दिनांक 21–01–2020 एवं पत्रांक–964/पी0–सिं0ख0–2/21–07–2020 इस कार्यालय को उलपब्ध करायी गयी है जो निम्नवत् प्रेषित है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के एवज में 10.283 है0 सिविल सोयम वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु मु0 31,52,058.00 लाख की धनराशि जमा की गयी है।

   प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले प्रस्तावित (10.283 है0) मौजा कुण्ड की सिविल भूमि को मसूरी वन प्रभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, **(संलग्नक–01)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नरेन्द्ररग वन प्रभाग एवं मसूरी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत पडने वाली वन भूमि के सापेक्ष मु0 09,40,485.00 एवं 26,46,725.00 कुल मु0 35,87,210.00 की एन0पी0वी धनराशि जमा की गयी है।
3. शर्त संख्या–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार क पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनंक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमा मूल्य (एन0पी0वी) की निर्धारित धनराशि जमा की गयी है।
4. शर्त सख्या–04 क अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने की दशा में बढी हुयी दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है, **(संलग्नक–02)**
5. शर्त संख्या–05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सभी निधियां (CA cost, NPV) की धनराशि मु0 67,39,268.00 (सड़सठ लाख उनतालीस हजार दो सौ अड़सठ रूपये मात्र) की धनराशि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) में वैब पोर्टल पर NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा की गयी है, जिसकी रसीद संलग्न है, **(संलग्नक–03)**
6. शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण में कम से कम से वृक्षों का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार नरेन्द्रनगर व वन प्रभाग के अन्तगर्त 103 एवं मसूरी वन प्रभग के अन्तर्गत 49 वृक्ष है, **(संलग्नक–04)**
7. शर्त संख्या–07 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 10.283 है0 सिविल भूमि में से 5.00 हे0 सिविल का पुनः स्थलीय निरीक्षण मसूरी वन प्रभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ करवाया गया, जिसके क्रम में मसूरी वन प्रभाग मसूरी के पत्रांक–1086/12–1 दिनांक 16–09–2020 से प्रस्तावक विभाग को अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 10.283 हे0 में से 5.00 है0 सिविल भूमि का हरियाली घनत्व 0.40 से कम है तथा 1000 पौध प्रति है0 वनीकरण हेतु सर्वथा उपयुक्त है, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है, **(संलग्नक–05)**

8. शर्त संख्या–08 के क्रम मे प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में काई बदलाव नही किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, **(संलग्नक–06)**
9. शर्त संख्या–09 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 जमा कराया जायेगा।
10. शर्त संख्या–10 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा, ततसम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है, **(संलग्नक–07)**
11. शर्त संख्या–11 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का 04 फीट उंचे आर0सी0सी0 पिल्लर द्वारा सीमांकन करवाया जायेगा।
12. शर्त संख्या–12 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि निमार्ण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति तेल की आपूर्ति करेगा जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुॅचें, **(संलग्नक–08)**
13. शर्त संख्या–13 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचायी जायेगी, **(संलग्नक–09)**
14. शर्त संख्या–14 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वन भूमि जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है, उसी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लायी जायेगी अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग में नही लायी जायेगी, **(संलग्नक–10)**
15. शर्त संख्या–15 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी, **(संलग्नक–11)**
16. शर्त संख्या–16 के क्रम में में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मोटरमार्ग से उत्सर्जित होने वाले मलवें का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा, तथा उत्सर्जित मलवे को निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र नही फेका जायेगा, **(संलग्नक–12)**
17. बिन्दु संख्या–17 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त करना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी, **(संलग्नक–13)**
18. शर्त संख्या–18 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यदि भारत सरकार द्वारा भविष्य में अन्य कोई भी शर्त वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होगा, **(संलग्नक–14)**

कृपया विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

उप वन संरक्षक, 6/8/2020
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 1026 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

O/c

संलग्न-9

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in
Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या- 1633/12-1

सेवा में,

दिनांक 15/12/2020

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-2
नई टिहरी।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में गरोडा से बनाली के किमी0 03 से कुण्ड 8.125 किमी0 तक मोटरमार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/21822/2016)

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक-2681/9-1(3) दिनांक 03-03-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार के पत्रांक-11-306/2014-एफ0सी0 दिनांक 08-08-2014 एवं उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या-941/X-4-18/1-05(04)/2014 दिनांक 26-09-2018 से दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त प्रश्नगत मोटरमार्ग के संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के पातन हेतु वन विकास निगम लि0 टिहरी गढवाल को निर्देशित किया गया था, भारत सरकार के उक्त पत्र में अधिरोपित शर्त के अनुसार जारी अनुमति 01 वर्ष अथवा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने तक मान्य होती है, किन्तु आपके द्वारा प्रश्नगत मोटरमार्ग की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नही की गयी है, और इस कार्यालय के पत्रांक-2681/9-1(3) दिनांक 03-03-2020 से जारी अनुमति की अवधि समाप्त होने वाली है। जिस हेतु इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र से जारी अनुमति एतत् द्वारा निरस्त की जाती है, अनुमति निरस्त किये जाने के उपरान्त बिना अनुमति कार्य को जारी रखना वन संरक्षण, अधिनियम 1980 का उलंल्घन माना जायेगा।

15/12/2020

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः- 1633 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :- राजि अधिकारी, सकलाना राजि को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत मोटरमार्ग के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संलग्न -88

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail Address - dfonnagar-forest-uk@nic.in Phone/Fax No.- 0135-2442052

पत्रांक:— 2681 / 19-1 (3) दिनांक, मुनिकीरेती, 03/03/2020

सेवा में,

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
नई टिहरी।

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
नई टिहरी
प्राप्ति सं० 1289
दिनांक 05-03-2020

विषयः— **लौट सं0—46/2019—20 के आबंटन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः— राजि अधिकारी, सकलाना का पत्रांक— 547/09 दिनांक 04.02.2020 एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर का पत्रांक— 503/09 दिनांक 10.02.2020

सन्दर्भित पत्र के कम में इस वन प्रभाग के सकलाना राजि के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में मरोड़ा बनाली—कुण्ड मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रजाति के 49 वृक्षों का लौट सं0—46/2019—20 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0— 941/X-4-18/1-05(04)/2014 दिनांक 26.09.2018 के अनुपालनार्थ तथा राजस्व शाखा की नोट शीट सं0—11 के कम में विदोहन हेतु आवंटित किया जाता है। कृपया उक्त लौट में विदोहन कार्य निम्न प्रतिबन्धों के साथ शीघ्र करना सुनिश्चित करें।

1. उपरोक्तानुसार लौट में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के वर्ष 1993—94 के बिकी के प्रतिबन्ध नियम लागू होंगे।
2. वन विकास निगम द्वारा लौट का विधिवत चार्ज लिया जायेगा तथा प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित राजि व अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
3. निगम के सेक्षन अधिकारी प्रतिनिधि के निर्धारित सीमा रजिस्टर तथा मानचित्र पर स्पष्ट नाम व दिनांक सहित हस्ताक्षर करने होंगे।
4. जिस तिथि को निगम के अधिकृत प्रतिनिधि रजिस्टर तथा मानचित्र जिसमें लौट की सीमा निर्दिष्ट की गयी है, हस्ताक्षर करेगा। उसी तिथि से वन निगम लौट के लिए उत्तरदायी होगा। वन निगम की पूर्ण पक्ष में अवैध वन पातन वन भूमि पर अतिकमण तथा अन्य अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार होगा।
5. लौट में उत्पादित प्रकाष्ठ का माहवार प्रगति विवरण अगले माह को 5 तारीख तक राजि कार्यालय में निम्न प्रारूप में देना होगा।

लौट संख्या	माह में पातित वृक्षों का विवरण			आयतन (घ0मी0 में)		
	प्रजाति	ब्यास से0मी0	संख्या	गोल प्रकाष्ठ	चिरान	जलौनी
1	2	3	4	5	6	7

6. लौट से कटान चिरान ढुलान की अवधि 31 मार्च 2020 तक मान्य होगा।

7. लौट मे निकासी लेने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिससे लौट का इस्तीफा तथा सम्बन्धित राजि अधिकारी की संस्तुति अनिवार्य है।

8. वन निगम इस आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर लौट में कार्य करना सुनिष्चित करेगा। अन्यथा बाद मे लौट में वृक्षों के सड़ने गलने का दायित्व वन विभाग का नहीं होगा।

संलग्नक :– लौट सं0–46/2019–20 ब्यासवार सूची।

12/02/2020

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:– / , दिनांकित।

प्रतिलिपि – उप–प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – राजि अधिकारी, सकलाना राजि को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार ही लौट में कार्य करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को निर्देश जारी करें।

प्रभागीय वनाधिकारी

पत्रा०

लौंट सं0

वन प्रभाग– नरेन्द्र नगर मुनि की रेती | राजि का नाम सकलाना –चंबा

ब्लॉक– सौंग

मरोडा कुंड मोटर मार्ग निर्माण (आ0 वन क्षेत्र) सौंग कक्ष सं0 4

क्र0 सं0	ब्लाक / क0सं0	प्रजाति का नाम	व्यासवर्ग 0–10	10–20	20–30		30–40		40–50		50–60		60–70		70–80		80–90		90 से ऊपर		कुल योग
	सौंग क0सं0 4				का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	
1-	स्व	बांज	–	–		01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
2-		कुरांश	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
3-		काफल	–	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	02
4-		चीड़	–	–	–	–	01	–	02	–	06	–	01	–	01	–	–	–	02	–	13
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	04	01	–	02	–	06	–	01	–	01	–	–	–	02	–	17

(गमाल सिंह नागडी)
ह0फेनर
उ0 वन विकास निगम

वन बीट अधिकारी
सौंग बीट

अनुभाग अधिकारी
सौंग/पुजारगांव अनुभाग

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज
चम्पा

लॉट सं0

वन प्रभाग— नरेन्द्र नगर मुनि की रेती

मेरोडा कुड मोटर मार्ग निर्माण हेतु चिन्हित वृक्षों

राजि का नाम सकलाना — चंबा

ब्लॉक—

कक्ष सं0

क्र0 सं0	ब्लाक / क0सं0	प्रजाति का नाम	0—10	10—20	20—30 का0	20—30 ना0	30—40 का0	30—40 ना0	40—50 का0	40—50 ना0	50—60 का0	50—60 ना0	60—70 का0	60—70 ना0	70—80 का0	70—80 ना0	80—90 का0	80—90 ना0	90 से ऊपर का0	90 से ऊपर ना0	कुल योग
1-	मेरोडा कुड मोटर मार्ग निर्माण चिन्हित वृक्ष	बाँज	05	05	-	05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
2-		काफल	02	—	—	01	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	04
3-		चीड़	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01
4-		बुरंई	—	01	—	—	03	—	—	—	02	—	01	—	01	—	01	—	03	—	12
5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			07	06	01	06	03	01	—	—	02	—	01	—	01	—	01	—	03	—	32

मरस्टर नरेन्द्र नगर वनप्रभाग 19 20

(गमालसिंह बागड़ी)
लेखाकार
उ० वन विकास निगम

वन बीट अधिकारी
सौंग बीट

अनुभाग अधिकारी
सौंग/पुजारगांव अनुभाग

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज
चम्बा

संलग्न -10

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांकः 1328 / पी0–सिं0ख0–2 / कुण्ड   दिनांक– 20 / 09 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर, उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित मरोडा से बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से कुण्ड 8.125 किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/21822/2016)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक संख्या–8 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 94 / 2019 / एफ0सी0, दिनांक 30.08.2024

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा कुछ बिन्दुओं पर अभिलेख तैयार कर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित करने को कहा गया। जिसमें बिन्दु संख्या–02 की आख्या के सम्बन्ध में सूचनीय है कि वनभूमि के अन्तर्गत मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन के साथ ही वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भी यथाशीघ्र अपलोड करना आवश्यक होता है अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 स्वीकृत नहीं हो पाती है। तत्समय के0एम0एल0 फाईल तथा Geo-Reference मैप प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण पर लिए गये कोर्डिनेड के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी एवं समयाभाव के कारण वनभूमि प्रस्ताव के लिए तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुई है जिसके कारण के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का ग्रेड पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानको के अनुरूप भी नहीं है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान / पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है।

वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार के0एम0एल0 फाईल तथा गूगल मैप की फोटो तैयार की गयी हैं, जिसके अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान / कटान व निर्माण कार्य संशोधित गूगल मैप के अनुसार ही किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उलंघन नहीं हुआ है। पूर्व समरेखण एवं वर्तमान समरेखण की के0एम0एल0 फाईल (सी0डी0) एवं गूगल मैप की फोटो, उक्त दोनों समरेखणों का Land Schedule इस कार्यालय के पत्रांक सं0–236 / पी0–सिं0ख0–2 / कुण्ड, दिनांक 13.02.2024 के द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर, उप वन प्रभाग मुनिकीरेती को प्रेषित कर दी गयी थी, जिसकी प्रति आपको भी सूचनार्थ प्रेषित थी (प्रति संलग्न)।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने स्तर से नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को एन0आई0सी0 नई दिल्ली के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल में संशोधित के0एम0एल0 को अपलोड किये जाने की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर) 20/09/24
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी
20/09/24

पत्रांक   / पी0–सि0ख0–2 / कुण्ड / तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी

मानचित्रकार
आ0का0 कार्य
प्र0 सं0 का0
18/10/2024

आर.न. 1593/12-1
दिनांक 06/11/2024
हo आर.क
नरेन्द्र वन प्रभाग मुनि-की-रेती

संलग्नक (11)

कार्यालय– वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज, चम्बा

पत्रांक :–379/12 दिनॉक :– 26 मई 2024

saklanarange111@gmail.com

सेवा में

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

विषयः– **जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड मरोडा से बनाली के किमी 3 से कुण्ड 8.125 किमी0 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.1415 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/21822/2016)**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक– 520 / 12–1 दिनांक–05 / 01 / 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत करना है, कि उक्त विषय मोटर मार्ग में जिस समरेखण में वृक्षों की गणना व मार्किंग की गयी है, उन्ही वृक्षों का पातन किया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना राजि चम्बा

संलग्न–सम्बन्धित स्टाफ की रिपोर्ट।

संलग्नक (11)

सेवा में

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय
सकलाना राजि-चम्बा टि० ग०

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड मोडा (केवलाली) के कि०मी० 3 से 8.125 कि० मी० तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.1615 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/21822/2016

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 520/12-1 दि० 05-01-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि उक्त विषयक मोटर मार्ग में जिस सम्रेखण में वृक्षों की गणना व मार्किंग की गई है उन्हीं वृक्षों का पातन किया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्यार चन्द रमोला
अनुभाग अधिकारी
सौंग, पुजारगांव अनुभाग